सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 755 राँची, शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

18 सितम्बर, 2019

विषयः नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या-2135, दिनांक-18.04.2016 द्वारा निर्गत ''झारखण्ड किफायती शहरी आवास नीति-2016 यथा संशोधित, 2018'' में संशोधन के सम्बन्ध में।

संकल्प संख्याः-07/न०प्र०नि०/HFA-Miscellaneous/27/2016-3810-- झारखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पास भूमि की कमी एवं भूमिहिन होने, शहरी क्षेत्र में मकानों की कीमतों और किराये के मकान की बढ़ती किराये के दर के कारण शहरी क्षेत्र के कमजोर एवं निम्न आय वर्ग की जनसंख्या मलीन एवं अनाधिकृत बस्तियों में रहने के लिए बाध्य है।

2. झारखण्ड सरकार द्वारा कमजोर एवं निम्न आय वर्ग वालों आवासविहीनों तथा अनाधिकृत बस्तियों में निवास करनेवाले परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु ''झारखण्ड किफायती शहरी आवास नीति-2016 यथा संशोधित, 2018'' नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2135 दिनांक-18.04.2016 के द्वारा निर्गत की गयी है।

3. उक्त ''झारखण्ड किफायती शहरी आवास नीति-2016 यथा संशोधित, 2018'' के कंडिका संख्या-5.12 उप कंडिका 5.12.6 के क्रियान्वयन में हो रही कठिनाई को दृष्टिपथ रखते हुए उक्त कंडिका में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

कंडिका संख्या	उप-कण्डिका सं०	उप-कण्डिका सं०	प्रावधान	संशोधित प्रावधान	कारण (Justification)
5.12 Model 9: Development of EWS/LIG Housing on whole of Private Land	5.12.6 Other incentives and relaxations to developers	a) Market Pricing	The developer shall be at liberty to determine the sale price of EWS and LIG dwelling units over and above the mandatory reservation under Model 1, subject to maximum price decided at ULB level notified by the government. This price will be revised time to time by the State Government / Jharkhand Housing Mission. Dwelling Unit shall be allotted by the Developer exclusively with list provided by concern ULB, developed under Housing For All Plan of Action under PMAY.	The developer shall be at liberty to determine the sale price of EWS and LIG dwelling units over and above the mandatory reservation under Model 1.	अन्य राज्यों की किफायती आवासीय नीतिओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर प्रस्ताव है।

4. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या-301 दिनांकः 11.03.2015 की कंडिका 1.1 के आलोक में उपरोक्त पर दिनांकः 11.09.2019 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-21 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

5. यह संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा, तथा इस संकल्प का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 755 -- 200